



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022022-233749
CG-DL-E-25022022-233749

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 824]
No. 824]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 25, 2022/फाल्गुन 6, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 25, 2022/PHALGUNA 6, 1943

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2022

का.आ. 854(अ).—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथासंशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 6 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 4 के खण्ड (छ) के अनुसरण में श्री रतन लाल कटारिया, सदस्य, लोक सभा को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर का सदस्य होने के लिए लोक सभा द्वारा 17 दिसंबर, 2021 को विधिवत रूप से उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन निर्वाचित किया गया है।

[फा. सं. जेड- 28016/178/2019- पीएमएसएसवाई-IV]

नीलाम्बुज शरण, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2022

S.O. 854(E).—In pursuance of clause (g) of Section 4, read with Sub-Section (1) of Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by the All India Institute of

Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), Shri Rattan Lal Kataria, Member, Lok Sabha has been duly elected on 17th December, 2021 by the Lok Sabha to be a member of the All India Institute of Medical Sciences, **Bilaspur** subject to the provisions of the said Act.

[F. No. Z-28016/178/2019-PMSSY-IV]

NILAMBUJ SHARAN, Economic Advisor